



कार्यालय प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
OFFICE OF THE Pr. COMMISSIONER, CGST & CENTRAL EXCISE  
29, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन (एम.पी.)  
29, Bharatpuri Administrative Area, Ujjain (M.P.)  
Phone No.0734-2527098, Fax No. 0734-2511109  
ईमेल: supdt.confidential@gmail.com

प.क्र. II(03)01/CON/T&P/UJN/18-19/6270

उज्जैन, दिनांक 22.10.2019

**स्थापना आदेश क्रमांक/ ESTABLISHMENT ORDER No.10/2019**

**दिनांक 22.10.2019**

श्री रोहित अग्रवाल के पद ग्रहण एवं विभागीय सेवाओं में पुनः शामिल होने परिणामस्वरूप, उज्जैन में अधीक्षक के ग्रेड पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण और तेनाती का आदेश दिया जाता है:-

Consequent upon joining of Shri Rohit Agarwal after re-instatement in services in the department, the following transfer and posting in the grade of Superintendent (Group-B Gazetted) of Ujjain CGST & Central Excise Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

क्र.स. S.No.	नाम श्री/श्रीमती Name Shri/Smt.	कहाँ से /From	कहाँ पर / To
1.	रोहित अग्रवाल Rohit Agarwal	On joining dated 21.10.2019 w.r.t. letter No.II(03)01/Con/VRS/UJN /19-20/5787-94 dated 11.10.2019	Technical, Div-Khandwa
2.	Khoslendra Goud	Technical, Div-Khandwa	Technical, Div-II, Pithampur (without refund /Rebate)

2. संबंधित प्रभाग प्रमुख द्वारा डिवीजन के सुचारु कामकाज के लिए आवंटित किए जाने वाले किसी भी प्रभार के मामले में, अपर आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उज्जैन से सहमति लेने के बाद आवंटित किया जाना चाहिए। ऊपर उल्लेखित अधिकारी अपनी तेनाती के नए स्थान पर तत्काल कार्य भार ग्रहण करें।

In case of any charge to be allocated for smooth work functioning of the Division by the respective Divisional head, the same should be allotted after taking concurrence from the Additional Commissioner CGST & C.Ex., Ujjain. The officer mentioned above must joined at their new place of posting immediately.

3. स्थानान्तरण किये जाने वाले आदेश के तहत अधिकारी अपनी तेनाती के स्थान से कार्यभार मुक्ति के समय तथा नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते समय समुचित रूप से अपना प्रभार सोपेंगे और ग्रहण करेंगे। सभी तत्काल प्रकृति के तथा समयबद्ध मामलों की सूची तैयार की जानी चाहिए और कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सोपी जानी चाहिए।

The officer under order of transfer should properly hand over and take over the charge at the time of relieving and joining from their place of posting. The list of all urgent and time bound matters, should be prepared and the copy of the same be handed over to the officer taking over the charge.

4. कोई स्थानांतरण टी.ए. / शामिल होने का समय S.No.1 & 2 में उल्लिखित अधिकारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा

No transfer TA /joining time will be admissible to the officers mentioned at S.No.